पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

डॉ. मुरारी कुमार झा

बनाम

नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 3979/2020

10 दिसंबर, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.02.2019 को जारी कार्यालय आदेश के तहत याचिकाकर्ता की नौकरी समाप्त करना सही है या नहीं?

हेडनोट्स

विश्वविद्यालय कानून—समाप्ति—विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में टेन्योर ट्रैक पदों के लिए एक आवेदन आमंत्रित किया—याचिकाकर्ता को प्रस्ताव पत्र सूचित किया गया था, प्रस्ताव पत्र में, यह निर्धारित किया गया था कि यह एक टेन्योर ट्रैक पद होगा, और आकर्षक शर्तों के आधार पर; और टेन्योर ट्रैक का आश्वासन, समीक्षा के बाद तीसरे वर्ष में टेन्योर (स्थायी) पद की ओर ले जाएगा, याचिकाकर्ता ने पद स्वीकार कर लिया-इस बीच, याचिकाकर्ता को हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए में प्रतिष्ठित पोस्ट-डॉक्टरल/विजिटिंग फेलोशिप की पेशकश की गई थी—नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के आश्वासन पर, याचिकाकर्ता ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए को एक स्वीकृति पत्र भेजा—विश्वविद्यालय से सहमति और पूर्व अनुमति लेने के बाद-याचिकाकर्ता का टेन्योर ट्रैक सहायक प्रोफेसर पद अचानक टेन्योर समीक्षा किए बिना समाप्त कर दिया गया था—रोजगार की शर्तें स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हैं।

निर्णीत: कार्यकाल विस्तार का प्रश्न विश्वविद्यालय के कुलपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वे इस पर विचार करें, यदि याचिकाकर्ता पद पर पुनः शामिल होने की अपनी उत्सुकता दिखाते हुए एक आवेदन दायर करता है—वेतन वृद्धि, डी.ए. और अन्य परिलब्धियों के बकाया का भुगतान, विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार इसकी गणना करने का निर्देश दिया जाता है और इसे याचिकाकर्ता को आदेश की एक प्रति प्राप्त / प्रस्तुत करने की तारीख

से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है—रिट निर्देशों और टिप्पणियों के साथ निपटारा किया जाता है।

(पैराग्राफ 28 से 33)

न्याय दृष्टान्त

डॉ. नवीन जी एच बनाम भारत संघ एवं अन्य (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 102/2023); आनंद सिंह बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10977/2022) **—विशिष्ट किया गया।**

दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डीएड) एवं अन्य, **(2013) 10** एससीसी **324;** प्रदीप पुत्र राजकुमार जैन बनाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड एवं अन्य, **(2022) 3** एससीसी **683;** उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड एवं अन्य, **(2021) 6** एससीसी **15;** सुबोध कुमार सिंह राठौर बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य, **(2024)** एससीसी ऑनलाइन एससी **1682—संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010.

मुख्य शब्दों की सूची

कार्यकाल ट्रैक, समाप्ति, प्रस्ताव पत्र।

प्रकरण से उत्पन्न

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.02.2019 को जारी कार्यालय आदेश के तहत याचिकाकर्ता की नौकरी समाप्त कर दी गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मोहम्मद हारुन कुरैशी, अधिवक्ता।

नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से: श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।

यूओआई की ओर से: श्रीमती कनक वर्मा, सी.जी.सी. ।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गयाः आभाष चंद्र

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 3979/2020

==========

डॉ. मुरारी कुमार झा, पिता- श्री चंद्र कुमार झा, निवासी- ग्राम + डाकघर- काहुआ, वाया- बेनीपुर, जिला-दरभंगा, बिहार-847103

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. नालंदा विश्वविद्यालय, कुलपति के माध्यम से, राजगीर, जिला-नालंदा, बिहार-803116
2. कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला-नालंदा, बिहार-803116
3. कुलसचिव, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला-नालंदा, बिहार-803116
4. भारत संघ, भारत सरकार के सचिव के माध्यम से, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001
5. सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001

.... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मो. हारून कुरेशी, अधिवक्ता

नालंदा विश्वविद्यालय के लिए : श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

भारत संघ के लिए : श्रीमती कनक वर्मा, सी. जी. सी.

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण

आरक्षित निर्णय

दिनांक: 10.12.2024

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मो॰ हारून कुरेशी, नालंदा विश्वविद्यालय (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'विश्वविद्यालय') के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार और श्रीमती कनक वर्मा, विद्वान केंद्र सरकार के अधिवक्ता, को सुना।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर करके, याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.02.2019 (सं. एन.यू./108/2014-15/83) को जारी प्रश्नगत कार्यालय आदेश के माध्यम से की गई उसकी सेवा समाप्ति को चुनौती दी है तथा अन्य सहायक राहतों की भी प्रार्थना की है।

3. मामले के अभिलेख से संक्षिप्त तथ्य यह निकलता है कि दिनांक 19.12.2013 को, सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यकाल-नियत पदों सहित विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक नौकरी विज्ञापन जारी किया गया था। उस समय याचिकाकर्ता सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इतिहास विभाग में रिसर्च फेलो के रूप में काम कर रहे थे। याचिकाकर्ता के पास दो पी. एच. डी. डिग्री हैं, एक नीदरलैंड के इतिहास संस्थान, लीडेन विश्वविद्यालय से और दूसरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र से। याचिकाकर्ता के पास शिक्षण का काफी अनुभव है और उसने कई पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्राप्त की है।

4. उपरोक्त विज्ञापन का आलोक में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.01.2014 को कार्यकाल-नियत पदके लिए आवेदन किया। उन्हें विश्वविद्यालय के नई दिल्ली कार्यालय से स्काइप पर एक साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था और उनका साक्षात्कार विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा दिनांक 10.06.2014 को आयोजित किया गया था। आवेदन और साक्षात्कार के सफल परिणाम के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 23.06.2014 को एक प्रस्ताव पत्र के रूप में सूचित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को बहुत ही

आकर्षक शर्तों पर इसके संस्थापक संकाय के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पत्र में, यह निर्धारित किया गया था कि यह एक कार्यकाल-नियत पद स्थिति होगी, और समीक्षा के बाद तीसरे वर्ष में कार्यकाल (स्थायी) स्थिति के लिए अग्रणी कार्यकाल नियत पद का आश्वासन, और आकर्षक शर्तों के आधार पर याचिकाकर्ता ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना में योगदान करने का अवसर और पद स्वीकार कर लिया, जो उस समय नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ अमर्त्य सेन के कुलाधिपति के अधीन था।

5. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सिंगापुर में विभाग के प्रमुख (इसके बाद संक्षेप में 'एन.यू.एस.' के रूप में) के विश्वविद्यालय के अनुरोध पर, याचिकाकर्ता दिसंबर, 2014 के अंत तक एन.यू.एस. में कार्यरत रहें और दिनांक 01.01.2015 को, याचिकाकर्ता कार्यकाल नियत सहायक प्रोफेसर के पद पर विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन विद्यालय में शामिल हुआ और अपनी पत्नी और फिर दो साल की बेटी के साथ सिंगापुर से राजगीर, बिहार में स्थानांतरित हो गया। चूंकि याचिकाकर्ता अपने परिवार के साथ सिंगापुर से स्थानांतरित हो रहा था, इसलिए उसकी पत्नी ने उसी विश्वविद्यालय में नौकरी की मांग की। वह एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुईं और वर्ष 2016 में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अध्ययन विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के रूप में नौकरी भी प्राप्त की।

6. याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय में एम. ए. के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया, जहाँ उन्होंने तीन महत्वपूर्ण सेमिनार पाठ्यक्रम तैयार किए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने चार साप्ताहिक मॉड्यूल भी तैयार किए और वर्तमान पाठ्यक्रम भी पढ़ाए। याचिकाकर्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने द्वारा की गई शिक्षण जिम्मेदारियों के अलावा विभिन्न विषयों पर सात एम. ए. शोध प्रबंधों का भी निर्देशन किया। याचिकाकर्ता ने इस नए संस्थान के विकास के लिए पूरे दिल से खुद को समर्पित कर दिया और छात्र समीक्षाओं में उन्हें एक अत्यधिक लोकप्रिय शिक्षक पाया गया।

7. हालाँकि याचिकाकर्ता को उनके संकाय रोजगार अनुबंध के संदर्भ में आश्वासन दिया गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिनांक 17.11.2017 को, याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव द्वारा बस सूचित किया गया था कि मौजूदा नियमों और शर्तों पर उनका कार्यकाल ट्रैक पद एक और वर्ष के लिए यानी 01.01.2018 से 31.12.2018 तक बढ़ा दिया गया है। याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कार्यकाल की समीक्षा बाद के वर्षों में की जाएगी। चूंकि याचिकाकर्ता अपने शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों में गहराई से तल्लीन था, इसलिए उसने उस समय इस विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।

8. जैसा कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने लगातार खुद को एक 'अंतर्राष्ट्रीय संस्थान' के रूप में पेश किया, इसने अपने सदस्यों को अन्य प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्येतावृत्तियां और अनुसंधान के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। अप्रैल 2018 में, याचिकाकर्ता को 50,000 अमेरिकी डॉलर के पर्याप्त वित्त पोषण के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्विक इतिहास पर वेदरहेड इनिशिएटिव में एक प्रतिष्ठित पोस्ट-डॉक्टरल/विजिटिंग फैलोशिप की पेशकश की गई थी। यह फेलोशिप अगस्त, 2018 से शुरू होने वाले दो शिक्षण/अनुसंधान सेमेस्टर को शामिल करते हुए 10 महीने की अवधि के लिए थी। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखकर इस प्रतिष्ठित प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति का अनुरोध किया, और इस तरह की अनुमति दिए जाने की स्थिति में, दिनांक 01.01.2019 अपने कार्यकाल-नियत अनुबंध के विस्तार की भी मांग की। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के कुलपति से भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी अनुमति दी जाएगी और एक स्पष्ट धारणा दी गई कि विश्वविद्यालय इस विकास से बहुत खुश है। विश्वविद्यालय के कुलपति के आश्वासन पर याचिकाकर्ता ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. को

एक स्वीकृति पत्र भेजा और इस महत्वपूर्ण कदम की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी और बेटी बिहार के राजगीर में अपने विश्वविद्यालय और स्कूल (क्रमशः) में अच्छी तरह से बसे हुए थे, इसलिए थोड़े समय के लिए उनके जीवन को बाधित करना उचित नहीं था और याचिकाकर्ता ने फैसला किया कि वे भारत में बने रहेंगे और जून, 2019 में याचिकाकर्ता के लौटने तक इस 10 महीने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के आवास में रहेंगे।

9. यह याचिकाकर्ता का आगे मामला है कि 03.08.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा जारी एफ. नं. वाले एन.यू./108/2014-15104/एकेड, याचिकाकर्ता को औपचारिक रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्विक इतिहास पर वेदरहेड इनिशिएटिव में उपरोक्त पोस्ट-डॉक्टरल/विजिटिंग फैलोशिप लेने की अनुमति दी गई थी, यह प्रमाणित करते हुए कि नालंदा विश्वविद्यालय को इस उपरोक्त फैलोशिप का लाभ उठाने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय को उनकी यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है। याचिकाकर्ता अपने करियर की उन्नति के लिए बड़ी प्रत्याशा और उम्मीद के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यू. एस. ए. में अपने कार्य में शामिल हुए।

10. याचिकाकर्ता के आश्चर्य और निराशा के लिए, दिनांक 18.02.2019 को, उसे एक प्रश्नगत आदेश प्राप्त हुआ जिसमें, अन्य बातों के साथ, यह कहा गया है कि आपके द्वारा कार्यावधि विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त किया गया है और उस पर विचार किया गया है। हालाँकि, इसे मंजूरी नहीं दी गई है और उन्हें परिसर खाली करने और 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया है। 18.02.2019 दिनांकित कार्यालय आदेश में याचिकाकर्ता के कार्यकाल नियत सहायक प्रोफेसर के पद को कार्यकाल समीक्षा किए बिना अचानक समाप्त करने के कारणों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को कई संचार किए, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। विश्वविद्यालय की ओर से कोई उम्मीद और प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर,

याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत आदेश को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दाखिल किया, लेकिन इसे अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह रिट आवेदन दाखिलकिया गया है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिश पर नालंदा विश्वविद्यालय क़ानून, 2012 की धारा 3 (1) (जे), (एम), और (ओ) के प्रावधानों के तहत शासी बोर्ड द्वारा अकादमिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों को विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा तय या बदला जाएगा। इसके बाद, क़ानून की धारा 13 कुलपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करती है जिसमें उपखंड (एफ़) और (जी) विशेष रूप से शैक्षणिक कर्मचारियों के चयन के तरीके के बारे में बताते हैं, और कुलपति को शासी बोर्ड की मंजूरी से ऐसे प्रशासनिक/तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 18.07.2018 को जारी अधिसूचना के पैरा 3.1 के अनुरूप है, जो (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता, और उच्च शिक्षा में मानक के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियमन, 2018 (जिसे इसके बाद “विनियमन” के रूप में संदर्भित किया गया है)।

12. उन्होंने आगे कहा कि नियुक्ति पत्र के साथ-साथ अनुबंध में उल्लिखित "नियत-कार्यकाल" समीक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 13.6 में परिभाषित किया गया है और इसे 2020 के उड़ीसा उच्च न्यायालय डब्ल्यू. पी. (सी) 33452 में भी दोहराया गया है। तत्पश्चात, कार्यकाल समीक्षा के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिनांक 17.11.2017 के पत्र के माध्यम से दिए गए विस्तार के अनुसार, अनुबंध के समाप्ति की तारीख और इसलिए उनके कार्यकाल की समीक्षा की तारीख उस अवधि के दौरान आएगी जब याचिकाकर्ता अपनी फेलोशिप प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, हालांकि,

कार्यकाल समीक्षा इसकी वास्तविक निर्धारित तिथि पर नहीं की गई थी, बल्कि इसे स्थगित कर 31.12.2018 अर्थात् याचिकाकर्ता के अनुबंध विस्तार की समाप्ति तिथि को किया गया।

13. उन्होंने आगे कहा कि क्या यह कहा जा सकता है कि एक कार्यकाल नियत अनुबंध को कार्यकाल की समीक्षा किए बिना ही समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियुक्ति पत्र, संकाय रोजगार अनुबंध और यू. जी. सी. विनियमन (उपरोक्त) के अनुसार, कार्यकाल समीक्षा अनुबंध के लिए अंतर्निहित है, इसका मतलब यह है कि समीक्षा की पूर्ववर्ती-शर्त का पालन किए बिना एक अनुबंध का निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल समीक्षा के एक स्पष्ट अधिकार को मात्र समय के व्यतीत होने से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, विनियमन के पैरा 11 में "परिवीक्षा और पुष्टि" की अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है।" पैरा 11.2 में उल्लेख किया गया है कि परिवीक्षाधीन शिक्षक की पुष्टि एक वर्ष के अंत में की जाएगी, जब तक कि पहले वर्ष की समाप्ति से पहले एक विशिष्ट आदेश के माध्यम से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया न जाए। नतीजतन, वर्तमान में मामले में, याचिकाकर्ता के मूल रोजगार अनुबंध की संविदात्मक अवधि वास्तव में उसकी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। अंत में, उक्त विनियमन के पैरा 11.3 में उल्लेख किया गया है कि "इस विनियमन के खंड 11 के अधीन, विश्वविद्यालय/संबंधित संस्थान की ओर से संतोषजनक प्रदर्शन के सत्यापन की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद परिवीक्षा अवधि पूरी होने के 45 दिनों के भीतर अधिकारियों को पुष्टि का आदेश जारी करना अनिवार्य है।" हालाँकि, वर्तमान मामले में, विस्तारित अनुबंध अवधि की समाप्ति के आसपास या उसके बाद कोई कार्यकाल समीक्षा नहीं हुई है, न ही 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को कोई अन्य रिपोर्ट या गैर-पुष्टि की सूचना दी गई थी। इस प्रकार, यू. जी. सी. विनियमन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता की नियुक्ति की पुष्टि 45 वें दिन की जाती है। किसी भी मामले में, गैर-पुष्टि या गैर-नवीनीकरण का निर्णय केवल नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात शासी बोर्ड द्वारा और केवल अपेक्षित कार्यकाल की

समीक्षा किए जाने पर लिया जा सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता को अनुबंध की गैर-पुष्टि या नवीनीकरण की पहली सूचना 48 वें दिन यानी 18.02.2019 को कुलसचिव के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई थी, लेकिन शासी बोर्ड की मंजूरी के बिना। वर्तमान मामले में, केवल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शासी बोर्ड के एक सक्रिय निर्णय की आवश्यकता है।

14. विद्वान वकील ने उक्त कानून की धारा 13 (जे) पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कुलपति को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन कर्मचारियों के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए या निर्देशों के पाठ्यक्रम के लिए भेजने की शक्ति होगी जो समय-समय पर अध्यादेशों में निर्धारित की जा सकती है। इसी तरह, याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित संकाय रोजगार अनुबंध के पैरा 2.1 में भी खंड को दोहराया गया है, यहां तक कि यू. जी. सी. विनियमन पैरा 8.2 में छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्तियों के अवसर का लाभ उठाने के लिए "अध्ययन अवकाश" के बारे में उल्लेख किया गया है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे "अनुबंध के उल्लंघन" पर तर्क दिया और उत्तरदाताओं के प्रस्तुत तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि रोजगार अनुबंध का ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया गया था, और यदि ऐसा कोई उल्लंघन हुआ भी हो, तो उसकी कोई भी परिणामी जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल नियुक्ति प्राधिकरण यानी "शासी बोर्ड" द्वारा की जा सकती थी और शासी बोर्ड के अनुमोदन पर भी कुलपति द्वारा नहीं, जैसा कि संकाय रोजगार अनुबंध के पैरा 5 में निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

(i) **दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी. एड.) और अन्य** (2013) में रिपोर्ट किए गए 10 एस. सी. सी. 324 (प्रासंगिक पैरा-38)।

(ii) **प्रदीप पिता राजकुमार जैन बनाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड और अन्य** (2022) 3 एस. सी. सी. 683 में रिपोर्ट किए गए।

(iii) उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम सी. जी. पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्य 6 एस. सी. सी. 15 में रिपोर्ट किए जाने के बाद से (प्रासंगिक पैरा-66 और 67)।

(iv) सुबोध कुमार सिंह राठौर बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य. (2024) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1682 में रिपोर्ट किए जाने के बाद से [प्रासंगिक पैरा-55 (वी)]

16. इस प्रकार, उपरोक्त प्रस्तुतियों और निर्णयों के बल पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन मामलों में सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण को पता चलता है कि नियोक्ता ने वैधानिक प्रावधानों और/या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन में कार्य किया है।या कर्मचारी या कर्मचारी को पीड़ित करने का दोषी है, तो संबंधित न्यायालय या न्यायाधिकरण पूर्ण वेतन के भुगतान का निर्देश देने में पूरी तरह से उचित होगा। ऐसे मामलों में, वरिष्ठ न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 226 या 136 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और श्रम न्यायालय आदि द्वारा पारित निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्मचारी/कर्मचारी की पूर्ण वेतन प्राप्त करने की पात्रता या उसी का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के दायित्व पर अलग राय बनाने की संभावना है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना उचित है और इस रिट आवेदन को सभी परिणामी लाभों के साथ अनुमति दी जा सकती है।

17. दूसरी ओर, विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंजनी कुमार ने प्रश्नगत आदेश की शुद्धता, वैधनिकता और वैधता की वकालत करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता परिवीक्षाधीन था और परिवीक्षा में अनुबंध की अवधि उसकी अनुपस्थिति में नहीं बढ़ाई जा सकती थी, इसलिए, यह सेवा समाप्ति का मामला नहीं है, बल्कि अनुपस्थिति में छुट्टी के साथ कार्यकाल का विस्तार नहीं है।

18. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 33 (1) स्पष्ट रूप से सीमांकन करती है कि "विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित अनुबंध के तहत की जाएगी। जो विश्वविद्यालय के पास दर्ज किया जाएगा और जिसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को प्रस्तुत की जाएगी। संकाय रोजगार अनुबंध के खंड 1 में विशेष रूप से कहा गया है कि अनुबंध की पूरी अवधि परिवीक्षाधीन होगी।" साथ ही, अनुबंध के मौजूदा नियमों और शर्तों के आधार पर याचिकाकर्ता को दिए गए एक वर्ष के विस्तार का मतलब है कि विस्तारित अवधि भी परिवीक्षाधीन है।

19. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 10 महीने की आवासीय अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करके अनुबंध के खंड 2 का उल्लंघन किया है। इसके बाद, विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उचित माध्यम से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्येतावृत्ति के लिए अपना आवेदन जमा नहीं किया था, जिसके कारण विश्वविद्यालय द्वारा उनका आवेदन औपचारिक रूप से अग्रेषित नहीं किया गया था। संविदात्मक प्रावधान में लंबी छुट्टी/वेतन के नुकसान का कोई प्रावधान नहीं है, जो परिवीक्षाधीन है। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता के मामले पर व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विचार किया है क्योंकि उक्त अध्येतावृत्ति प्रतिष्ठित थी और इसके कारण, उनके लिए अनुबंध की शर्तों में ढील दी गई थी और प्रारंभिक अनुबंध की समाप्ति की तारीख तक, यानी 31.12.2018 तक अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।

20. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अपनी रोजगार शर्तों के बारे में पता था, जो विशुद्ध रूप से अनुबंध और परिवीक्षा पर था, जो याचिकाकर्ता के 22 अक्टूबर, 2018 के पत्र के माध्यम से 'नौकरी विस्तार के लिए अनुरोध' के रूप में एक शीर्षक विषय के साथ दर्शाता है जिसमें याचिकाकर्ता ने नौकरी विस्तार के अनुदान के लिए अनुरोध किया है जिसमें कहा गया है कि".....उस अवधि के लिए जब

आप उचित निर्णय ले सकें।" इसके अलावा,याचिकाकर्ता का रोजगार नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010, क़ानूनों, अध्यादेशों आदि द्वारा शासित होने के अधीन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्ति अनुबंध पर है। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक तीन वर्षों की परिवीक्षा अवधि को मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि विस्तारित अवधि भी परिवीक्षाधीन है।

21. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 33 (ii) के अनुसार, विश्वविद्यालय और किसी भी कर्मचारी के बीच अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को कर्मचारी के अनुरोध पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

22. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय की लिखित मंजूरी/सहमति प्राप्त किए बिना हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 10 महीने की आवासीय अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन किया जो अनुबंध समझौते के खंड 2.1 के उल्लंघन के समान है। विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने **डॉ. नवीन जी. एच. बनाम भारत संघ और अन्य(सीडबल्यूजेसी संख्या 102/2023)** के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 08.05.2023 के आदेश और 14.09.2022 का आदेश **आनंद सिंह बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य** के मामले में पारित फैसले पर भरोसा व्यक्त किया।

23. इस प्रकार, उपरोक्त प्रस्तुतियों पर, यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत अवैध और आधारहीन दावों पर मान्य नहीं है और अस्वीकार किए जाने योग्य है और यह रिट आवेदन खारिज किए जाने के लिए उपयुक्त है।

24. ऐसा प्रतीत होता है कि फिलीपींस में दिनांक 15 जनवरी, 2007 को आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और उसके बाद 21 सितंबर, 2010 को हुए पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम No.39) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह

दिनांक 25.11.2010 पर लागू हुआ था। दिनांक 19.12.2013 को, नालंदा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यकाल ट्रैक पदों सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक नौकरी विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, नालंदा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के कार्यकाल-ट्रैक पद के लिए दिनांक 03.01.2014 को आवेदन किया। उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के नई दिल्ली कार्यालय से स्काइप पर एक साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। और उन्हें सफल पाते हुए, उन्हें 23.06.2014 दिनांकित एक प्रस्ताव पत्र के माध्यम से सूचित किया गया और उन्हें बहुत ही आकर्षक शर्तों पर इसके संस्थापक संकाय के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रस्ताव पत्र में ही, यह निर्धारित किया गया था कि यह एक कार्यकाल ट्रैक स्थिति होगी, और एक कार्यकाल ट्रैक की आकर्षक शर्तों और आश्वासन के आधार पर, समीक्षा के बाद तीसरे वर्ष में कार्यकाल की स्थिति के लिए अग्रणी होगी।

25. यह आगे प्रतीत होता है कि दिनांक 01.01.2015 को, याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में शामिल हो गया और राजगीर में स्थानांतरित हो गया। 24.11.2015 पर, पक्षों के बीच एक समझौता किया गया था, जिसमें कहा गया था कि *याचिकाकर्ता को इतिहास अध्ययन विद्यालय में पूर्णकालिक सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है ..... और यह एक कार्यकाल-नियत पद है, जिसकी अवधि 01.01.2015 से 01.01.2018 तक की होगी। "*खंड 1.1 रोजगार की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समीक्षा प्रक्रिया के बाद, अनुबंध के पूरा होने पर, कर्मचारी की सेवाओं की पुष्टि या समाप्ति के लिए विचार किया जा सकता है। संकाय रोजगार अनुबंध के संदर्भ में, शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के दौरान एक कार्यकाल समीक्षा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि उनका कार्यकाल मौजूदा नियमों और शर्तों पर पद को 01.01.2018 से 31.12.2018 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और उक्त कार्यकाल की समीक्षा अगले वर्ष में की जाएगी।

26. यह आगे प्रतीत होता है कि अप्रैल, 2018 में, याचिकाकर्ता को हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यू. एस. ए. में वैश्विक इतिहास पर वेदरहेड इनिशिएटिव में एक प्रतिष्ठित पोस्ट-डॉक्टरल/विजिटिंग फैलोशिप की पेशकश की गई थी। यह फेलोशिप अगस्त, 2018 से शुरू होने वाले दो शिक्षण/अनुसंधान सेमेस्टर को शामिल करते हुए 10 महीने की अवधि के लिए थी।याचिकाकर्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक से इस तरह का प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, विश्वविद्यालय के कुलपति से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया और उनसे मुलाकात की और अपने कार्यकाल ट्रैक अनुबंध को 01.01.2019 से बढ़ाने की मांग की। याचिकाकर्ता को एक स्पष्ट धारणा दी गई कि विश्वविद्यालय इस विकास से बहुत खुश है और इस खबर के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उक्त जानकारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। उक्त प्रेस विज्ञप्ति का एक स्क्रीन शॉट इस रिट आवेदन के अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न किया गया है।

27. यह आगे प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय के उत्साही आश्वासन के आधार पर, याचिकाकर्ता ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यू. एस. ए. को एक स्वीकृति पत्र भेजा। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने 3 अगस्त, 2018 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को उनके इस फेलोशिप का लाभ उठाने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। इसके अलावा दिनांक 23.08.2018 के एक कार्यालय आदेश के माध्यम से, उक्त अनुमति को दोहराया गया जिसमें कहा गया है कि "सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, डॉ. मुरारी कुमार झा, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज को 1 अगस्त, 2018 से आवासीय अध्येतावृत्ति प्राप्त करने की अनुमति है। इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय से सहमति और पूर्व अनुमति लेने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शामिल हुआ।

28. यह आगे प्रतीत होता है कि चूंकि याचिकाकर्ता और विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध जल्द ही समाप्त होने वाला था और वह कार्यकाल समीक्षा के लिए भारत में उपलब्ध

नहीं था, इसलिए संकाय रोजगार अनुबंध के खंड 1.1 और खंड 3 के आधार पर, याचिकाकर्ता ने 22.10.2018 पर विश्वविद्यालय को एक पत्र भेजा, जिसमें 01.01.2019 से विस्तार के लिए अपने अनुरोध को दोहराया गया। याचिकाकर्ता ने कई मौकों पर टेलीफोन पर इस पत्र का अनुसरण किया, और इन सभी बातचीत के दौरान उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा बार-बार आश्वासन दिया गया कि निर्णय सकारात्मक होगा। चूंकि अनुबंध की अवधि 31.12.2018 पर समाप्त हो गई थी और याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय से औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। उन्होंने फिर से अपनी शिकायत उठाते हुए सीधे विश्वविद्यालय के कुलपति को दिनांक 15.01.2019 को एक पत्र भेजा। दिनांक 30.01.2019 को, याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय को एक और अनुस्मारक भेजा। दिनांक 18.02.2019 को, याचिकाकर्ता को कार्यालय का आदेश प्राप्त हुआ जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज में संकाय (अनुबंध पर सहायक प्रोफेसर) के रूप में आपकी शर्तें 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गई हैं। मैंने उक्त कार्यालय आदेश का अवलोकन किया है जिसमें इस बात का कोई विवरण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यकाल ट्रैक को कार्यकाल समीक्षा किए बिना क्यों समाप्त कर दिया गया था, बल्कि इसमें गलत तरीके से उनके पद को 'संकाय (अनुबंध पर सहायक प्रोफेसर)' के रूप में संदर्भित किया गया था।

29. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता अच्छी तरह से योग्य है।उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर, उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के सदस्य के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया था। शासी बोर्ड की बैठक में याचिकाकर्ता को हार्वर्ड विश्वविद्यालय फेलोशिप के पुरस्कार की सूचना की इसके सदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई।

30. यह भी विवाद में नहीं है कि कार्यकाल की समीक्षा 01.01.2018 द्वारा नहीं की गई थी, जैसा कि प्रारंभिक अनुबंध में वादा किया गया था, लेकिन 17.11.2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात 01.01.2018 से 31.12.2018 तक के लिए व्यवस्था को बढ़ाया गया था। जब याचिकाकर्ता विदेश में था तो उसने अधिकारियों को विस्तार की औपचारिक अधिसूचना के लिए लिखा। दिनांक 22.01.2019 को, याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को वेतन वृद्धि और डीए भत्ता जारी करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा। हालांकि, न तो याचिकाकर्ता का कार्यकाल बढ़ाया गया और न ही याचिकाकर्ता को कोई भुगतान किया गया।

31. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विश्वविद्यालय के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों को देखा है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय की ओर से जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं है। यह निवेदन करते हुए कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 33 (ii) के तहत मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए था, मुझे केवल यह कहना है कि यह धारा तभी लागू होगी जब याचिकाकर्ता/संबंधित कर्मचारी मामले को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजने की अपनी इच्छा व्यक्त करेगा, तभी इस संविदात्मक मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

32. पक्षकारों के विद्वान वकील के तर्को को सुनने के बाद, मामले के पूरे पहलू पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध मामले के दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, मेरा विचार है कि जहां तक कार्यकाल के विस्तार का सवाल है, यह विश्वविद्यालय के कुलपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वह इस पर विचार करे, दो महीने की अवधि के भीतर, विशेष रूप से पूरे ट्रैक रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विचार करते हुए, यदि याचिकाकर्ता पद पर फिर से शामिल होने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाते हुए एक आवेदन दायर करता है। जहां तक वेतनवृद्धि, डी. ए. और अन्य परिलब्धियों, यदि कोई हो,

के बकाया का संबंध है, विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार इसकी गणना करने का निर्देश दिया जाता है और याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इसका भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। यदि उक्त भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे देय तिथि से उसके भुगतान तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा।

33. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण)

त्रिवेदी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।